डी-21011/05/2016-प्रशा.II
मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

दिनांक: 07 अप्रैल, 2017

सेवा में,

(इच्छुक बोलीदाता)

विषय: डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और सरवर आदि की वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए निविदा आमंत्रित करना ।

मुझे मंत्रिमंडल सचिवालय में लगाए गए **डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और सरवर आदि की वार्षिक रखरखाव संविदा** के आबंटन के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करने का निदेश हुआ है । इच्छुक फर्में अपनी निविदा को 50,000 रुपए (पचास हजार रुपए मात्र) के बोली सुरक्षा डिपाजिट के साथ भेजें, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 'डीडीओ', मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली के नाम से हो ।

2. निविदा दस्तावेज *www.cabsec.nic.in* की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं । किसी पूछताछ के सिलसिले में कृपया अनुभाग अधिकारी (प्रशा.II) कमरा संख्या 6, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-4 (दूरभाष: 2301-5937 और 2301-5938) से संपर्क करें ।

3. **कोटेशन दो बोलियों अर्थात तकनीकी और वित्तीय के रूप में पृथक सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जाएं** । तकनीकी बोली में कंपनी की प्रोफाइल तथा **अनुलग्नक** – II के अनुसार पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करने वाले प्रमाणित दस्तावेज होने चाहिएं । वित्तीय बोली में **अनुलग्नक** - III के अनुसार केवल वित्तीय प्रभार ही होने चाहिएं । मांगे गए किसी भी दस्तावेज के न होने पर उनकी संपूर्ण निविदा अस्वीकृत हो सकती है । उन्हें निविदा विज्ञापन पूर्णतया पढ़ना चाहिए तथा अपनी कोटेशन तभी पेश करनी चाहिएं जबकि वे **अनुलग्नक**- I में दिए अनुसार मंत्रिमंडल सचिवालय की निबंधन एवं शर्तों को पूरा करते हों ।

4. फर्मों को कोटेशन पृथक सीलबंद लिफाफों में प्रस्तुत करनी चाहिएं जिन्हें एक मुख्य सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिसके ऊपर "**डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और सरवर आदि की वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए निविदा**" लिखा होना चाहिए और वह "**अवर सचिव (प्रशा.II), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली**" को संबोधित होनी चाहिए । उसे 28 अप्रैल, 2017 को 3:00 **बजे सायं** तक **मंत्रिमंडल सचिवालय के स्वागत कार्यालय, साउथ-ईस्ट विंग, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली** में इसी प्रयोजनार्थ रखे **निविदा बाक्स** में डाला जाना चाहिए । अंतिम तिथि तथा निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त हुए तथा/अथवा निविदा बाक्स के अलावा किसी अन्य

तरीके से प्राप्त हुए कोटेशन/निविदाएं खोले नहीं जाएंगे और सिरे से खारिज कर दिए जाएंगे । **डाक/स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट या कूरियर के जरिए कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।**

5. निविदा समिति 28.04.2017 को 3.30 बजे सायं सम्मेलन कक्ष, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में प्रतिभागी बोलीदाताओं की उपस्थिति में तकनीकी बोलियों को खोलेगी, जो व्यक्तिगत रूप से या उनके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के जरिए उपस्थिति हो सकते हैं । समिति/सक्षम प्राधिकारी एजेंसियों के रिकार्ड, प्रोफाइल और तकनीकी बोलियों के अनुसार ऐसे अन्य मानकों के आधार पर एजेंसियों की सक्षमता का विश्लेषण करेगी / करेंगे । तकनीकी बोली के स्तर पर सफल रही एजेंसियों के प्रतिनिधियों को ही वित्तीय बोलियों के खुलने के समय उपस्थित रहने की अनुमति होगी ।

6. फर्मों/बोलीदाताओं को भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो । निविदाकर्ता फर्में/बोलीदाता समुचित मूल्य के पेपर पर इस आशय का एक नोटरीकृत शपथपत्र देंगे कि उन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है या सरकारी मंत्रालयों/विभागों से उनके व्यापार संबंधों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है ।

7. इस सचिवालय के पास किसी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

(के.जे. सिबिचन)
अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक: (1) ब्यौरेवार कार्य अपेक्षाएं तथा निबंधन एवं शर्तें (अनुलग्नक-I)
(2) तकनीकी बोली का फार्मेट (अनुलग्नक-II)
(3) वित्तीय बोली का फार्मेट (अनुलग्नक-III)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. तकनीकी निदेशक (एनआईसी), , मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली । उपर्युक्त पत्र को कृपया इस सचिवालय की शासकीय वेबसाइट *www.cabsec.nic.in* पर एक गैर-परिवर्तनीय रूप में अपलोड किया जाए तथा इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जाए ।
2. नई दिल्ली/ दिल्ली में मौजूद **भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों** को इस अनुरोध के साथ कि इस प्रयोजनार्थ उनके द्वारा अनुबंधित फर्मों से अपनी निविदाएं पेश करने, यदि वे इच्छुक हों, का अनुरोध किया जाए ।

अनुलग्नक-I

मंत्रिमंडल सचिवालय

राष्ट्रपति भवन

****

सामान्य निबंधन एवं शर्तें

1. फर्मों के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, और सरवर आदि के रखरखाव का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए । ऐसे कम से कम पांच केंद्रीय सरकारी संगठन भी होने चाहिएं जहां उन्होंने वार्षिक रखरखाव संविदा (एएमसी) को सफलतापूर्वक पूरा किया हो । पिछले पांच वर्षों के एएमसी की प्रतियां मंजूरी पत्र एवं क्लाइंटों की सूची, जिसमें उनके लिए काम करने के वर्ष दर्शाए गए हों, सहित संलग्न होनी चाहिएं ।

2. फर्म के पास भारत सरकार के कम से कम दो मंत्रालयों/विभागों में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और सरवर के लिए चालू एएमसी (अलग-अलग या संयुक्त रूप से) होनी चाहिएं । फर्म को इस संबंध में एक संतोषजनक सेवा प्रमाण-पत्र मुहैया कराना चाहिए ।

3. फर्म को एक रेजिडेंट इंजीनियर उपलब्ध कराना चाहिए जो सुयोग्य एवं कम से कम पांच वर्ष के अनुभव से युक्त होना चाहिए । उसकी योग्यता कम से कम बी.टेक., बीसीए या बी.एससी. के साथ कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष होनी चाहिए । उसके पास कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए (योग्यताओं एवं अनुभव संबंधी आवश्यक समर्थक दस्तावेज संलग्न होने चाहिएं) ।

4. रेजिडेंट इंजीनियर को छः दिन प्रति सप्ताह (सोमवार से शनिवार) प्रातः 9:00 बजे से 5:30 बजे सायं तक उपलब्ध रहना चाहिए । परिस्थिति की मांग के अनुसार उनकी सेवाओं की आवश्यकता विषम समय तथा छुट्टियों में भी हो सकती है । उसके पास एप्पल उत्पादों और उनके ऑपरेटिंग सिस्टमों की जानकारी एवं अनुभव होना चाहिए ।

5. लैपटॉप और स्कैनर के पॉवर अडेप्टर्स को नए ओईएम अडेप्टर्स से बदला जाना चाहिए । खराब अडेप्टर्स की मरम्मत नहीं की जानी चाहिए ।

6. यदि हार्डडिस्क खराब पाई जाती है, तो उसे नई हार्डडिस्क से बदला जाना चाहिए । सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण पुरानी/खराब हार्डडिस्क विक्रेता को लौटाई नहीं जाएगी । कृपया यह नोट किया जाए कि स्टेंडबाए (अतिरिक्त) के रूप में रखी गई हार्डडिस्क विक्रेता को लौटाई नहीं जाएगी ।

7. फर्म को यह सुनिश्चित करना तथा आश्वासन देना चाहिए कि मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ एएमसी संविदा करने वाली फर्म उसे आगे किसी और फर्म को नहीं देगी । इससे किसी भी तरह के विचलन से फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा ।

8. संविदा को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात एएमसी प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी । कोट की गई दरें संविदा की पूर्ण अवधि के लिए लागू रहेंगी । संविदा की अवधि के दौरान

किसी भी कारण से दरों में संशोधन की किसी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा । फर्म के संतोषजनक कार्य-निष्पादन पर करार को और आगे बढ़ाने का अधिकार मंत्रिमंडल सचिवालय के पास है ।

9. फर्म कार्यालय समय के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली तथा दिल्ली में स्थित उसके अन्य कार्यालयों और नई दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर इस सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के निवासों पर (शनिवार/रविवार और छुट्टियों सहित) बिना किसी अतिरिक्त लागत के सेवाएं देगी ।

10. इंजीनियर के पास एक मोबाइल फोन और एक दोपहिया वाहन भी होना चाहिए । उसके पास सभी ऑपरेटिंग सिस्टम की संपूर्ण और गहन जानकारी होनी चाहिए

11. फर्म के पास एएमसी सेवाओं से ही अनन्य रूप से कम से कम 10 करोड़ तक का सेवाओं का वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए । फर्म को निविदा दस्तावेज के अनुसार विगत 5 वर्षों के दौरान वार्षिक टर्नओवर के समर्थन में दस्तावेज संलग्न करने चाहिएं ।

12. फर्म के पास सेवाओं के संबंध में आईएसओ 20000-1:2011 प्रमाणन होना चाहिए ।

13. प्रत्येक स्थान पर, यह सचिवालय डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर और सर्वर का रिकॉर्ड रखेगा । फर्म की लॉग-रिपोर्ट में शिकायत की प्रकृति, शिकायत दर्ज करने की तारीख और समय, मशीन की मरम्मत कर दिए जाने का समय और कुल डाउन टाइम दर्शाए जाएंगे । इस रिकॉर्ड पर फर्म के सर्विस इंजीनियर और प्रयोक्ता हस्ताक्षर करेंगे ।

14. फर्म एएमसी के तहत ली जाने वाली प्रत्येक मशीन के लिए अलग लॉग बुक भी तैयार करेगी और वायरस खोजने सहित निवारक रखरखाव तथा मॉनीटर, सीपीयू, की-बोर्ड आदि की अंदर की और तरल क्लीनर से बाहर की विशेष सफाई तिमाही आधार पर किए जाएंगे । प्रयोक्ता (यूज़र) से एक निवारक रखरखाव रिपोर्ट प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत की जाएगी । ऐसा न होने की स्थिति में समुचित पैनल्टी लगाई जाएगी । तिमाही भुगतान यूज़र से प्राप्त संतोषप्रद रिपोर्ट के आधार पर ही किए जाएंगे ।

15. सर्विस इंजीनियर किसी रिपोर्ट की गई खामी को दो घंटे के भीतर ठीक करना शुरू करेगा । जहां तक संभव हो, मरम्मत उसी स्थान (साइट) पर की जाएगी । तथापि, उपस्कर को वर्कशॉप ले जाने की स्थिति में, फर्म उसके स्थान पर उसी प्रकार या उससे उच्चतर स्तर का स्टेंडबाय प्रदान करेगी । विभाग ढुलाई के लिए कोई भुगतान नहीं करेगा तथा मशीनों को लाने-ले जाने के लिए किया गया खर्चा फर्म वहन करेगी । मरम्मत के लिए इमारत से बाहर ले जाए गए उपस्कर को दो कार्य-दिवसों के भीतर वापस लाया जाना चाहिए । ऐसा न होने की स्थिति में पैनल्टी स्वत: ही लग जाएगी । फर्म आपात स्थिति में छुट्टियों में भी रखरखाव और मरम्मत सेवाएं प्रदान करेगी ।

16. यदि कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर और लेपटॉप आदि 24 घंटे के भीतर ठीक नहीं किए जाते हैं तो फर्म इस्तेमाल न किए गए स्टेंडबाय डेस्कटॉप कंप्यूटर और लेपटॉप आदि प्रदान करेगी । तथापि, यदि

फर्म खराब डेस्कटॉप/लेपटॉप को उठाने से पहले स्टेंडबाय डेस्कटॉप कंप्यूटर और लेपटॉप मुहैया कराने या मरम्मत करने में विफल रहती है तो विलम्ब के लिए 200/- रूपये प्रतिदिन की पैनल्टी लगेगी । प्रिंटर, स्कैनर और सर्वर के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी । यदि कोई अपेक्षित पुर्जा उपलब्ध नहीं हो तो उसे सिस्टम से अनुकूल किसी उच्चतर स्तर के पुर्जे से बदला जाएगा । उपस्कर के क्षतिग्रस्त या खराब पुर्जे को फर्म को देना पूरी तरह से मंत्रिमंडल सचिवालय के विवेकाधीन होगा ।

17. डाऊनटाइम की गणना के लिए, शिकायत दर्ज करने के समय को डाऊनटाइम माना जाना चाहिए ।

18. सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लेपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर और सर्वर आदि का **निवारक रखरखाव** 3 महीने में एक बार किया जाएगा । यदि एएमसी के आबंटन की तिथि से प्रत्येक तिमाही की शुरूआत में निवारक रखरखाव नहीं किया जाता, तो एएमसी की धनराशि का 5 प्रतिशत साप्ताहिक आधार पर काटा जाएगा ।

19. **ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट :** सभी सिस्टम पर ओएस सपोर्ट इस संविदा के अंतर्गत आते हैं । ओएस रखरखाव, सभी डिवाइस ड्राइव के साथ ओएस की री-लोडिंग, ओएस अपग्रेड, डिवाइस ड्राइवर्स, सिस्टम कन्फीग्यूरेशन और नेटवर्क कन्फीग्यूरेशन से संबंधित कोई समस्या फर्म द्वारा देखी और ठीक की जाएगी ।

20. **एन्टी-वायरस सॉफ्टवेयर सपोर्ट :** सिस्टम पर एन्टी-वायरस सॉफ्टवेयर सपोर्ट इस संविदा के अंतर्गत आते हैं । सिस्टम वायरस से संबंधित कोई समस्या फर्म द्वारा देखी और ठीक की जाएगी । फर्म, जब और जहां अपेक्षित हो, तथा सिस्टम के निवारक रखरखाव के दौरान भी एन्टी-वायरस सॉफ्टवेयर को अद्यतित (अपडेट) करेगी ।

21. खरीदे गये नए उपस्कर को वारंटी समाप्त होते ही एएमसी में शामिल कर लिया जाएगा ।

22. फर्म या किसी अन्य विक्रेता से खरीदी गई तथा मौजूदा एएमसी प्रणाली में अपग्रेड की गई नई अपग्रेड मद (मेमोरी, एचडीडी, एमएम किट आदि) को वारंटी समाप्त होते ही एएमसी में शामिल कर लिया जाएगा ।

23. फर्म केवल ओईएम स्पेयर पार्ट (अतिरिक्त् कल-पुर्जे) प्रयोग करेगी । फर्म के पास बहु-ओईएम-उत्पाद अर्थात एचपी, एचसीएल, डैल, लेनोवो आदि के लिए समर्थन क्षमता होनी चाहिए और उसे सभी उत्पादों के लिए एकल समर्थन बिंदु के रूप में कार्य करना चाहिए । इस संबंध में एक ओईएम सेवा प्रदाता प्रमाणन प्रस्तुत किया जाना चाहिए । ऐसे प्रत्येक मामले/मरम्मत, जिसमें ओईएम उत्पाद के पुर्जे प्रयोग किए गये हों, में फर्म द्वारा एक प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए ।

24. यह अनिवार्य है कि फर्म रेजीडेंट इंजीनियर की कस्टडी में रखे, मंत्रिमंडल सचिवालय के स्पेयर पार्ट्स की सूची तैयार रखेगी । इस सूची में कम से कम 17 पीसी का एक पूरा सेट एक अतिरिक्त एसएमपीएस के साथ, मोनो -प्रिंटर, कलर प्रिंटर, कलर एमएफपी, फीडर स्कैनर, टैफलॉन के दो सेट, पिक-अप-रोलर के दो सेट, 24" एलईडी मॉनीटर और एक एचडीडी (500 जीबी/एक टीबी) होने चाहिएं ।

25. संविदा की अवधि : यह संविदा 12 महीने की अवधि के लिए वैध होगी । यदि संविदाकार की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं अथवा संविदाकार संविदा की किसी निबंधन एवं शर्त को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो विभाग इस संविदा को समाप्त कर सकता है ।

26. यदि टैफलॉन को बदले जाने की जरूरत है तो फर्म को प्रिंटर्स के लिए ओईएम से नया टैफलॉन बिना किसी अतिरिक्त लागत के मुहैया कराना चाहिए ।

27. यदि बैटरी समाप्त हो जाए या की-बोर्ड खराब काम करने लगे तो फर्म को ओईएम के नये लैपटॉप बैटरी, लैपटॉप अडेप्टर, की-बोर्ड बिना किसी अतिरिक्त लागत के मुहैया कराने चाहिएं । इसी प्रकार यदि वर्तमान संविदा के दौरान डैस्कटॉप के की-बोर्ड और माऊस खराब हो जाते हैं तो उन्हें ओईएम के नये की-बोर्ड और माऊस से बिना किसी अतिरिक्त लागत के बदला जाना चाहिए । मांग के अनुसार, माऊस/की-बोर्ड यूएसबी या पीएस2 का हो सकता है । सुरक्षा कारणों से की-बोर्ड और माऊस की मरम्मत नहीं की जा सकती ।

28. जिस कंपनी को एएमसी आबंटित की गई है उसे एएमसी शुरू होने से पहले के दो सप्ताहों के भीतर हार्डवेयर का निरीक्षण कर लेना चाहिए ।

29. कंपनी को एएमसी में रखे गए ब्रांडों के मदर बोर्डों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए ।

30. फर्म को वैध अद्यतन आईएसओ 9001:2000 प्रमाणन प्रस्तुत करना चाहिए ।

31. इंजीनियर कंपनी के पे-रॉल (वेतन संबंधी दस्तावेज) में शामिल होना चाहिए, इस संबंध में वैध दस्तावेज संलग्न किए जाएं ।

32. **फर्म के पास नई दिल्ली में पर्याप्त तकनीकी स्टाफ होना चाहिए जिसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकारों में विशेषज्ञता प्राप्त हो ।**

33. यह संविदा भारतीय कानूनों और दिल्ली में स्थित न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र के अधीन होगी ।

निविदाकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
के हस्ताक्षर फर्म की मोहर के साथ

अनुलग्नक-II

तकनीकी बोली

विषय: डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और सरवर आदि की वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए निविदा आमंत्रित करना ।

क्रम सं.	विवरण	निविदकर्ता द्वारा भरे जाने के लिए
1.	(क) फर्म/एजेंसी का नाम (ख) पता (ग) प्रोपराइटर का नाम (घ) दूरभाष संख्या (ङ) मोबाइल संख्या (च) ई-मेल पता (छ) बिजनेस पार्टनर का नाम, यदि कोई हो	
2.	बयाना राशि जमा (ईएमडी) के ब्यौरे I. धनराशि II. ड्राफ्ट संख्या III. तिथि IV. जारी करने वाला बैंक	
3.	कार्य-निष्पादन प्रमाण-पत्र के साथ भारत सरकार के 3 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से 3 वर्ष के अनुभव का प्रमाण	
4.	सत्यापित प्रतियों की सूची (अद्यतन) I.लेखा-परीक्षित लेखे II.दाखिल किये गये आयकर रिटर्न III.आयकर क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र IV.बिक्री कर प्रमाण-पत्र	
5.	सत्यापित प्रतियों की सूची I.पैन/टैन कार्ड II.बिक्री कर पंजीकरण संख्या	
6.	वर्तमान सरकारी क्लाइंटों से प्राप्त कार्य-निष्पादन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां	
7.	रेजीडेंट इंजीनियर के 5 साल के अनुभव का प्रमाण-पत्र	

नोट: केवल अपेक्षित दस्तावेज ही संलग्न करें । कृपया दस्तावेजों को समुचित सूची (इंडैक्स) में संलग्न करें ।

फर्म के सील के साथ निविदादाता
के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर तिथि सहित

स्थान................

अनुलग्नक-III

वित्तीय बोली

विषय: डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप और सरवर आदि की वार्षिक रखरखाव संविदा के लिए निविदा आमंत्रित करना ।

क्र. सं.	वर्णन सहित मद (कोष्ठकों में मात्रा)	मात्रा	एक वर्ष के लिए दर प्रति इकाई (रूपयों में सभी करों सहित)
1	सीपीयू टीएफटी/एलईडी [प्रोसेसर-आई 5 (171), आई 7 (99), कोर 2 डुओ (02), एएमडी (01), जिओन सर्वर (03)]	277 (3 सर्वरों सहित)	
2	प्रिंटर [कलर प्रिंटर (18), मोनो प्रिंटर (250), एमएफ-मोनो प्रिंटर (07), एमएफ कलर प्रिंटर (21), कैनन प्रिंटर (03)]	299	
3	स्कैनर [एचपी-8270 (03), एचपी-7000 (01), एचपी-5590 (50), एचपी-5000 (14) , कोडक आई 420 (01)]	69	
4	लेपटॉप [डेल 5410 आई 5 (07), डेल 5420 आई 5 (01), सोनी वायो आई 5 (01), लेनोवो आई 7 (02), लेनोवो आई 5 (03), एचपी 348 जी 3 आई 7 (07), एचपी पैवीलियन आई 7 (01)]	22	
5	रेजीडेंट इंजीनियर (एक)		

- मशीनों की संख्या बढ़ाई/घटाई जा सकती है ।

स्थान.................

तिथि.................

फर्म के सील के साथ निविदादाता
के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
दूरभाष: ....